

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Misc. Application for Suspension of Sentence No.
728/2026

IN

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 756/2026

1. Bhanwar Das S/o Khum Das Sadhu, Aged About 42 Years,
Resident Of Vanai, Police Station Kunvariya District
Rajsamand. (At Present Lodged In District Jail,
Chittorgarh)
2. Kamal Singh S/o Budh Sen Mali, Aged About 53 Years,
Resident Of Himmatpura Police Station Panchkara, District
Firozabad (U.p.) At Present House No 303 Housing Board,
Kankroli, P.s. Kankroli, District Rajsamand. (At Present
Lodged In District Jail, Chittorgarh)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Kailash Khilery
For Respondent(s)	:	Mr. NS Chandawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE FARJAND ALI

Order

22/04/2026

1. विद्वान न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण संख्या-02, चित्तौड़गढ़, सेशन प्रकरण क्रमांक 119/2019 (51/2017) में पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 के संबंध में आवेदकों की ओर से सजा निलंबित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस निर्णय में अपीलकर्ताओं को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये गये हैं।
2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि निचली अदालत ने कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप दोष

सिद्ध करने का गलत निर्णय हुआ है। प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते यह न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करे। आगे निवेदन है कि अपीलकर्ता मुकदमे की अवधि के दौरान जमानत पर रहे हैं और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। चूंकि अपील के निस्तारण में समय लगेगा, इसलिए सजा निलंबित की जानी चाहिए।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा निलंबित करने के अनुरोध का विरोध किया है।
4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (जो धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप है) के तहत जमानत देना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 (जो धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप है) के तहत सजा को निलंबित करना, इन दोनों के बीच का अंतर सर्वविदित है। जहां पहली धारा दोषसिद्धि से पूर्व लागू होती है, वहीं दूसरी धारा दोषसिद्धि के बाद लागू होती है और अपीलीय न्यायालय को प्रथम दृष्टया चुनौती दी गई दोषसिद्धि और सजा की वैधता का आंकलन करना आवश्यक होता है।
6. दोषसिद्धि होने पर निर्दोषता का अनुमान समाप्त हो जाता है। हालांकि, सजा को निलंबित करने पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि अपील में उठाए गए आधार एक ठोस और तर्कसंगत मामला साबित करते हैं या नहीं। यदि अभिलेख में मौजूद सामग्री से यह संकेत मिलता है कि निचली अदालत के फैसले पर विवाद हो सकता है तो धारा 389 सीआरपीसी (धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत रूप से किया जा सकता है। जहां अपील में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर प्रथम दृष्टया विचार करने पर सफलता की उचित संभावना दिखाई देती है, जिसमें दोषसिद्धि को रद्द करना या उसमें संशोधन करना शामिल है, वहां निर्णय लंबित रहने तक सजा को निलंबित किया जा सकता है।
7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Muna Bisoi v. State of Odisha (February 16, 2026)** के मामले में दिए गए विधिक प्रतिपादन से निर्देशित है, जिसमें यह माना गया है कि आपराधिक अपीलों का लंबा लंबित रहना, जो दोषी के

कारण नहीं है, सजा को निलंबित करने का एक वैध आधार है। **Kashmira Singh v. State of Punjab (1977) 4 SCC 291** पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों के लंबित रहने के दौरान दोषियों को लंबे समय तक कारावास में रखने की निंदा की, यह देखते हुए कि ऐसी प्रथा न्याय का मजाक होगी।

8. यह सर्वविदित है कि ऐसे आवेदन पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को मामले की खूबियों पर निर्णायक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अंतिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आधारों की तर्कसंगतता और सार के संबंध में प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि ही पर्याप्त होगी। अपीलीय क्षेत्राधिकार मुकदमे की निरंतरता होने के कारण संपूर्ण साक्ष्य पुनर्मूल्यांकन के लिए खुला रहता है। न्यायालय अंततः ऐसे पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर दोषसिद्धि की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकता है या सजा में परिवर्तन कर सकता है।

9. इसके अतिरिक्त भले ही दोषसिद्धि बरकरार रखी जाए, अपराध की प्रकृति या सजा की मात्रा अपीलीय स्तर पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, जो उचित मामलों में उदार दृष्टिकोण को और अधिक उचित ठहराता है। यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उस पर बड़ी संख्या में लंबित आपराधिक अपीलों का बोझ है, और उनके शीघ्र निस्तारण की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में अपील में तर्कसंगत आधार होने के बावजूद, निरंतर कारावास उचित नहीं होगा, विशेष रूप से तब जब देरी अपीलकर्ताओं के कारण न हो।

10. वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और विचारणीय हैं। यदि स्वीकार किए जाते हैं, तो इनसे बरी होने की संभावना है। इनमें साक्ष्यों की उचित जांच और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिससे अपीलकर्ताओं को लाभ होने की काफी संभावना है।

11. तदनुसार, धारा 389 सीआरपीसी के तहत सजा निलंबित करने के लिए दायर आवेदन (धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप) अनुमति दी जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं/आवेदकों **भंवरदास व कमल सिंह** के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सजा, जिसका विवरण इस आदेश के पहले पैराग्राफ में दिया गया है, उपरोक्त अपील के अंतिम निस्तारण तक निलंबित रहेगी और उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की

संतुष्टि के अनुसार और जब भी आदेश दिया जाए, 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बॉण्ड और 25,000/- रुपये प्रत्येक के दो जमानती प्रस्तुत करे, अपील के निस्तारण तक निम्नलिखित शर्तों पर:-

1. वे अपील के निर्णय होने तक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

2. यदि आवेदक अपना निवास स्थान बदलता हैं तो वे अपना बदला हुआ पता अधीनस्थ न्यायालय और साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में अपने वकील को लिखित में देंगे।

3. इसी प्रकार, यदि जमानती अपना पता बदलते हैं, तो वे अपना बदला हुआ पता अधीनस्थ न्यायालय को लिखित में देंगे।

12. निचली अदालत अभियुक्तगण/आवेदकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड एक अलग फाइल में रखेगी। ऐसी फाइल को आपराधिक विविध मामले के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, जो उस मूल मामले से संबंधित होगी, जिसमें अभियुक्तगण/आवेदकों पर मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया था। इस आदेश की एक प्रति भी संदर्भ के लिए उस फाइल में रखी जाएगी। आपराधिक विविध फाइल को निचली अदालत में लंबित मामलों और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यदि उक्त अभियुक्तगण/आवेदकगण निचली अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो निचली अदालत के न्यायाधीश जमानत रद्द करने के लिए मामले की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को भेजेंगे।

(FARJAND ALI),J